# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्या — 20/2021

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2021/41

अपीलांट:— बनाम रेस्पोंडेंट्स:—

बचुभाई कोदरवी पुत्र फुलाभाई, जाति डूंगरी भील, मूल निवासी 31, मोहब्बतगढ, तहसील दांता, जिला बनासकांटा (गुजरात) हाल निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी, जिला पाली

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी, जिला पाली, राजस्थान
2. तहसीलदार (भू—अभिलेख) देसूरी
3. उप पंजीयक, देसूरी

उपस्थिति:—

1. श्री पी.एम. जोशी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

**नामांतरकरण अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 1648 तहसीलदार (भू—अभिलेख), देसूरी दिनांक 17.4.2018**

—:आदेश:— दिनांक 10/01/2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील रेस्पोडेंटस् के विरूद्ध धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सादड़ी चक संख्या दो तहसील देसूरी जिला पाली में स्थित खसरा संख्या 6287 रकबा 0.87 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 6294/6634 रकबा 0.22 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम राजस्व लगान 13.08 रूपये खातेदार भैरा पुत्र वरदा कौम भील साकिन कांबा, तहसील गोगुन्दा से पंजीकृत विक्रय—विलेख संख्या 2016000700 दिनांक 05.7.16 के माध्यम से अपीलार्थी ने क्रय कर नामांतरकरण के लिए निवेदन किया था। पटवारी द्वारा नामांतरकरण भर कर स्वीकृत कर दिया जाना बताया था।

2. यह हैं कि पश्चात्वर्ती तिथि में नामांतरकरण की खाना पूर्ति की तिथि 26.07.16 को बदलकर दिनांक 06.8.16 की तिथि में आर.आई. की रिपोर्ट इंद्राज सही पाए जाने की होना, दिनांक 20.12.2016 की तिथि में तहसीलदार (भू—अभिलेख) की क्रेता की जाति वर्ग सहित प्रस्तुत करने का पृष्ठांकन होने, तत्पश्चात् दिनांक 14.01.18 की तिथि में जाति की सूची में उक्त जाति दर्ज नहीं होने की पटवारी की रिपोर्ट हाने तथा दिनांक 17.4.18 को परिपत्र दिनांक 11.2.09 की पालना में अस्वीकृत करने का आदेश हैं। इनकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी।

3. यह हैं कि प्रथम बार दिनांक 18.08.2021 को ऋण हेतु पटवारी से संपर्क करने पर रेकर्ड में नाम नहीं होने, म्यूटेशन अस्वीकृत होने की जानकारी दी गई, जिस पर उसी दिन नकलों हेतु आवेदन किया गया। दिनांक 19.08.2021 को नकल प्राप्त हुई, जिस पर प्रथम बार म्यूटेशन की जानकारी होने पर पाली आकर अधिवक्ता नियुक्त कर संबधित आवश्यक कार्यवाही अधिवक्ता के निर्देशानुसार पूर्ण कर तत्काल ही अपील प्रस्तुत की जा रही है।

4. यह है कि अपीलाधीन म्यूटेशन विधि, तथ्यों, प्राकृतिक न्याय, सुनवाई के अधिकारों एंव विधि की प्रक्रिया के विपरित होने से रद्द योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)

5. यह है कि अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 05.07.2016 को निष्पादित हुआ, दिनांक 26.07.2016 को ही म्यूटेशन की खानापूर्ति कर दी गई। विक्रय–विलेख निष्पादन के साथ एंव नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु अपीलार्थी के जाति प्रमाण–पत्र की एंव अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण–पत्र की एंव अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए गए थे। इसी कारण विक्रय–विलेख पंजीबद्ध हुआ था एंव इसी कारण नामांतरकरण उसी माह में ओपन किया गया था, तत्पश्चात् आई.एल.आर. की रिपोंट भी सकारात्मक रही थी, परन्तु उसके पश्चातफ अत्यधिक लंबी अवधि गुजारते हुए लगभग 20 माह पश्चात् अपीलाधीन आदेश अस्वीकृत करने का पारित किया है, जो पंजीकृत विक्रय–विलेख को देखते हुए भी प्रथम दृष्टया ही गलत एंव विधि विरूद्व है।

6. यह है कि अपीलार्थी की जाति डूंगरी भील होने का प्रमाण–पत्र गुजरात सरकार द्वारा क्रमांक 3903 / 2008 दिनांक 27.06.2008 को जारी किया गया है, तत्पश्चात् दिनांक 26. 05.2017 को प्रमाण–पत्र क्रमांक 7292 / 2017 भी जारी किया गया है। दोनों प्रमाण–पत्र फोटो युक्त है। भारत सरकार का आधारकार्ड संख्या 628038391677 एंव इलेक्शन कमीशन का पहचान पत्र क्रमांक जी.जे. / 15 / 102 / 393781 पहचान हेतु प्रस्तुत किए थे। इन्ही आधारों पर पंजीकृत विक्रय–विलेख निष्पादित हुआ था, जिससे अनुसूचित जाति का नहीं मानते हुए अस्वीकृत नामांतरकरण विधि विरूद्व होने से रद्द योग्य है।

7. यह है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.04.2021 को राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के दिशा निर्देशों की पालना में अस्वीकृति का आदेश पारित किया है। परिपत्र क्या है। दिशा निर्देश क्या है। एंव वे इस नामांतरकरण पर क्या प्रभाव रखते है। और आधार, कारण, स्थिति आदेश में वर्णित नहीं है, जिससे बिल्कुल ही गोलमोल, अस्पष्ट एंव शून्य है। अस्पष्ट एंव आधाररहित आदेश अपील योग्य आदेशों में पारित नहीं किया जा सकता है, जिससे विधितः शून्य होने से रद्द योग्य है।

8. यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को राजस्थान का अनुसूचित जाति का नहीं होने के कारण आदेश पारित किया गया है। इसी संबंध में दिनांक 11.02.2009 का परिपत्र राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाना बताया जा रहा है। माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नंबर 20682 / 2019 सुन्दर बनाम सुलक्षणादेवी में दिनांक 29.01.2021 को पारित न्याय निर्णयन में उक्त परिपत्र विधि विरूद्व होने, शेड्यूल कास्ट एंव ट्राईब्स की परिभाषा में भारत भर के नागरिक आने, धारा 42बी राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत मात्र राजस्थान के ही अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर प्रभावी नहीं होने की अवधारणा करते हुए विधि के प्रावधानों को प्रशासनिक या कार्यपालिका के आदेशों से समिति नहीं किए जा सकते, राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की पूर्ण स्कीम में राजस्थान के निवासी एंव अन्य राज्य के निवासियों में कोई फर्क नहीं होने की अवधारण करते हुए विक्रय–विलेख के आधार पर नामांतरकरण पारित करने के आदेश देते हुए विधि सुस्थापति रूप से निर्धारित की है तथा उक्त सरकूलर का कोई प्रभाव नही होना निर्धारित किया है। उक्त स्थितियों में अपीलाधीन नामांतरकरण विधि के प्रावधानों, सुस्थापति विधि के विपरित होने से रद्द योग्य है।

9. यह है कि माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्याय निर्णयन में राजस्व बोर्ड के निर्णय एंव डिक्री को अपास्त करते हुए चार सप्ताह के भीतर म्यूटेशन ओपन करने के आदेश प्रदान किए है। इस प्रकरण में म्यूटेशन ओपन हो चुका था, आर.आई.की रिपोर्ट भी सभी इंद्राज सही होने की थी, मात्र तहसीलदार का आदेश ही परिपत्र की पालना में अस्वीकृ

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

ति का रहा है, जिससे तहसीलदार के उक्त आदेश को अपास्त करते हुए म्यूटेशन को स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाने योग्य है।

10. यह है कि सुस्थापति विधि विक्रय–विलेख के पश्चात् एंव पंजीकरण के पश्चात् उनके तथ्यों को स्वीकार करने की है । पंजीकृत विक्रय–विलेख के पश्चात् नामांतरकरण पारित करने में अन्य कोई बाधा नहीं हो सकती है। अपीलार्थी की खरीदशुदा, आधिपत्यशुदा एंव काश्तशुदा भूमि होने के बावजूद चार साल से न्याय से वंचित करने का कोई कारण नही हो सकता है। तत्काल म्यूटेशन पारित करते हुए राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किए जाने योग्य है।

11. यह है कि प्रकरण में पंजीकृत विक्रय–विलेख अस्तित्व में है, नामांतरकरण ओपन किया जा चुका है, विक्रेता के स्तर पर नामांतरकरण से कोई संबध नही है, जिससे उन्हें पक्षकार बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र तकनीकी रूप से तहसीलदारजी द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इसके बावजूद भी न्यायालय का आदेश होने पर उन्हें पक्षकार बनाए जाने हुते अपीलार्थी कार्यवाही करने को तत्पर रहेगा। इस संबध में अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू–अभिलेख), देसूरी के दिनांक 17.4.18 को म्यूटेशन संख्या 1648 बाबत् खसरा नम्बर 6294/6634 नहरी दोयम के संबंध में अस्वीकृति का आदेश अपास्त किया जाकर नामांतरकरण स्वीकृत किए जाने का आदेश प्रदान करावें एवं इस अनुरुप म्यूटेशन पारित करने एवं राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

12. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

13. अपील Subject to limitaion दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल रेकर्ड तलब किया गया।

14. रेस्पोडेन्टस की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने सिधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी सहमति जाहिर की।

15. बहस उभय पक्ष सूनी गई।

16. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपील मिमो के वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट की जाति डूंगरी भील होने का प्रमाण–पत्र गुजरात सरकार द्वारा क्रमांक 3903/2008 दिनांक 27.06.2008 को जारी किया गया है, तत्पश्चात् दिनांक 26.05.2017 को प्रमाण–पत्र क्रमांक 7292/2017 भी जारी किया गया है। दोनों प्रमाण–पत्र फोटो युक्त है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में भी अपीलाण्ट की जाति डूंगरी भील होना दर्शित हैं। इन्ही आधारो पर पंजीकृत विक्रय–विलेख निष्पादित हुआ था।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने द्वितिय तर्क दिया कि माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नंबर 20682/2019 सुन्दर बनाम सुलक्षणादेवी में दिनांक 29.01.2021 को पारित न्याय निर्णयन में उक्त परिपत्र विधि विरूद्ध होने, शेड्यूल कास्ट एंव ट्राईब्स की परिभाषा में भारत भर के नागरिक आने, धारा 42बी राज. टिनेन्सी एक्ट के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

तहत मात्र राजस्थान के ही अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर प्रभावी नहीं होने की अवधारणा करते हुए विधि के प्रावधानों को प्रशासनिक या कार्यपालिका के आदेशों से समिति नही किए जा सकते, राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की पूर्ण स्कीम में राजस्थान के निवासी एवं अन्य राज्य के निवासियों में कोई फर्क नहीं होने की अवधारण करते हुए विक्रय–विलेख के आधार पर नामांतरकरण पारित करने के आदेश देते हुए विधि सुस्थापति रूप से निर्धारित की है। धारा 42–बी के प्रावधान राजस्थान से बाहर के अनुसुचित जाति/जनजाति के सदस्यों को राजस्थान में कृषि भूमि खरीदने से नहीं रोकती हैं, जो इस प्रकार हैं– Further the definition of SC/ST under section 5 (37-A) & (37-B) of the Act of 1955 is not Confined to the members of these communities residence of Rajasthan only in these Circumstances the respondents cannot be permitted to deny the petitioner benefit of mutation on the strenghth of Clarification Circular/Letter Date 11.02.2019"

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने तृतिय तर्क दिया कि तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 17.04.2021 को राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के दिशा निर्देशों की पालना में नामान्तरकरण अस्वीकृति का आदेश पारित किया है, परन्तु तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त परिपत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया हैं जिससे अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश आधाररहित एवं अस्पष्ट होने से विधितः शून्य हैं, जो खारीज योग्य हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण क्रमांक 1648 मे पारित ओदश दिनांक 17.4.2018 को अपास्त किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने का आदेश प्रदान करावें एवं इस अनुरूप म्यूटेशन पारित करने एवं राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी का नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

17. रेस्पोडेण्टस् की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट राजस्थान की अनुसुचित जाति की सूची में नहीं होने से राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के दिशा निर्देशों की पालना में उक्त अपीलाधिन नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया जो कानून्न सही हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज फरमावे।

18. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट की जाति डूंगरी भील होने का प्रमाण–पत्र गुजरात सरकार द्वारा क्रमांक 3903/2008 दिनांक 27.06.2008 को जारी किया गया है, तत्पश्चात् दिनांक 26.05.2017 को प्रमाण–पत्र क्रमांक 7292/2017 भी जारी किया गया है। दोनों प्रमाण–पत्र फोटो युक्त है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में भी अपीलाण्ट की जाति डूंगरी भील होना दर्शित हैं। इन्ही आधारो पर पंजीकृत विक्रय–विलेख निष्पादित हुआ था। अपीलाण्ट द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नंबर 20682/2019 सुन्दर बनाम सुलक्षणादेवी में दिनांक 29.01.2021 को पारित न्याय निर्णयन में परिपत्र दिनांक 11.02.2009 की धारा 42–बी के प्रावधान के संबंध में विस्तृत विवेचना करते हुए यह प्रतिपादित किया कि धारा 42–बी के प्रावधान राजस्थान से बाहर के अनुसुचित जाति/जनजाति के सदस्यों को राजस्थान में कृषि भूमि खरीदने से नहीं रोकती है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1648 पर आदेश पृष्ठांकीत कर परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के दिशा निर्देशों की पालना में अस्वीकृत किया जाना वर्णित किया है, परन्तु तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त परिपत्र के दिशा निर्देशों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए स्पीकीग आदेश पारित नही किया गया है। इसलिए अपीलाधीन म्यूटेशन 1648 दिनांक 17.04.2018 को पारित आदेश अपास्त योग्य प्रतित होता हैं।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1648 दिनांक 17.04.2018 को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 1648 दिनांक 17.04.2018 को अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार देसूरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व ग्रुप के परिपत्र दिनांक 11.02.2009 के परिपेक्ष्य मे प्रकरण की पुनः जांच कर तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 (राजस्थान क्षैत्राधिकार) की धारा 42–बी के प्रावधानों का ध्यान में रखकर उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच कर मौके व राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति अुनसार अपीलाण्ट को सूनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार कानून संगत पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही की जावें। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 10/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

10-11-2021 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०।
पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक
09-12-2021 को पेश हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

09-12-21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 05-1-22
को पेश हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

05-1-22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०।
मूल पत्रावली में अंतिम बहस उभयपक्ष सुनी
गई। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ वास्ते
आदेश दिनांक 10-1-22 को पेश हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

10-1-22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०।
मूल प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील
स्वीकार की जा कर निस्तारण कर दी गई
है। अब स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे
चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता
है। अतः माफिक मूल अपील के निर्णय अनुसार
उक्त पत्रावली मूल अपील के साथ नत्थी की
जाकर फैसल शुमार कर दाखील दफ्तर हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)